शिक्षा का अधिकार अधिनियम; दृष्टावलोकन

डॉ0 शैलेश कुमार पाण्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर (बी0एड0 डिपार्टमेंट)
मुनीश्वरदत्त स्नात्कोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़

भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्वों में अनु0 45 के अन्तर्गत सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि वह 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था 26 जनवरी 1960 तक करेगी। लेकिन इसे लागू करने में स्वतंत्रता के पश्चात् छः दशक बीत गये।

यह विधेयक कैबिनेट द्वारा 2 जुलाई 2009 को स्वीकृत किया गया। राज्य सभा मे इस बिल को 20 जुलाई 2009 को व लोक सभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया तथा 26 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया।

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य ने कहा है, ''दुनिया की बड़ी आबादी को शिक्षा से वंचित रखा गया है तो धरती पर अन्याय और असुरक्षा बरकरार रहेगी। पढ़ लिख नही पाना और संवाद में असमर्थता दरिद्रता और असुरक्षा की चरम स्थिति है। शिक्षा के प्रसार से ही इस असुरक्षा को खत्म किया जा सकता है। जीवन में अभाव और निराशा को शिक्षा के जरिए ही दूर किया जा सकता है।''

1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार कानून सरकार की समावेशी विकास की नीति का एक अहम हिस्सा है। इस अधिकार के लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चें को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। अधिनियम की मुख्य बात यह है कि गरीब परिवारों के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित है, उनके लिए निजी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिनकी पढ़ाई का खर्च स्कूल को सरकार की ओर उपलब्ध कराया जायेगा।

संविधान निर्माता शिक्षा के अधिकार को मूल संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल करना चाहते थे परन्तु भारत की तत्कालीन परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं थी। अतः उन्होंने इसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अनु. 45 के अन्तर्गत स्थान दिया तथा इसे राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया जो कि न्यायालयों में प्रवत्तनीय नही थे।

संसद ने इस अधिकार की आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2002 में संविधान के 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनु0 21–क जोड़कर इसे मूल अधिकार के रूप में अध्याय–3 में शामिल कर प्रवर्तनीय बना दिया। उक्त अनु0 21–क को संविधान में समाविष्ट करने के कारण अनु0 45 को भी संशोधित करने के कारण अनु0 45 को भी संशोधित कर इस प्रकार किया गया– ''राज्य 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी बालकों के बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगा।'' इस प्रकार इस अनु0 45 में संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व तय किया गया।

उक्त दोनो संशोधनों के साथ ही भाग–4 मूल कर्तव्यों में भी संशोधन कर अनु0 51 (क) (ट) जोड़ा गया, जिसके अनुसार –''6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे नीति निदेशक तत्वों तथा मूल कर्तव्यों में शमिल कर राज्य व अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया, किन्तु इन कर्तव्यों का पालन कराने के लिए कोई सकारात्मक साधन नहीं था।

अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, बच्चों के माता–पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया है तथा उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा के सम्बन्ध में न्यायालय का मत–

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) 3 SCC 666 के मामले में शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद–21 के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बताते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया। अनु.–21 के तहत् प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल है तथा निजी कालेज द्वारा कैपीटेशन शुल्क लेना नागरिकों के इस अधिकार का उल्लंघन है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

यूनी कृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश (1993) 4 SCC 645 के मामले में निजी कालेज संचालकों ने न्यायालय से मोहिनी जैन वाद में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार के लिए आवेदन किया। उनका तर्क था उक्त निर्णय को लागू किया गया तो उनको कालेज बन्द करने पड़ेगें। विद्वान न्यायमूर्तियों ने शिक्षा को मूल अधिकार माना तथा इसे 14 वर्ष तक के बच्चों तक सीमित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा।

एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996)6 SCC 756 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को आदेश दिया कि अनु. –45 के अनुसार बाल श्रमिको को शिक्षा का पूर्ण अवसर प्रदान करे। यह भी निर्देश दिया कि संरक्षक का दायित्व होगा कि वह बालक को शिक्षा के लिए भेजे तथा सम्बन्धित सरकार यह देखे कि उनके काम करने की अवधि 4 से 6 घण्टे से अधिक न हो और प्रत्येक दिन में 2 घण्टे शिक्षा प्राप्त करें व उनकी शिक्षा का संपूर्ण व्यय नियोजक वहन करें।

शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान –

अनुच्छेद 21–क : 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात् नया अनु0 21–क जोड़ा गया जो यह उपबन्धित करता है कि ''राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि सरकार बनाकर निर्धारित करें 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष आयु के सभी बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा''

अनुच्छेद 41– कुछ अवस्थाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार–राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 45– उपबन्धित करता है कि ''राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबन्ध करेगा''

अनुच्छेद 46– समाज के दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि राज्य जनता के दुर्बल वर्गो विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों की शिक्षा तथा अर्थसम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान–

- प्राथमिक शिक्षा में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा शामिल है।
- अनिवार्य शिक्षा– सरकार का दायित्व है कि –

(अ) 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए।

(ब) 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित करें।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार –

- 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चें को अपने नजदीकी सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा और इसके लिए उसे किसी प्रकार का शुल्क या खर्चे नहीं देने होंगे।
- यदि 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित है तो उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और ऐसे बच्चें 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा पाने के अधिकारी होंगे।
- बच्चों को प्रवेश के दौरान एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में (एक राज्य में या बाहर) स्थानान्तरण का अधिकार होगा तथा ऐसे स्थानान्तरण चाहने वाले बच्चों को उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक तत्काल स्थानान्तरण पत्र जारी करेगा और इस प्रक्रिया में किया गया विलम्ब अन्य विद्यालय में प्रवेश न देने का आधार नहीं माना जाएगा। स्थानान्तरण पत्र जारी करने में विलम्ब करने वाला प्रधानाध्यापक या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति जानबूझकर विलम्ब करने का दोषी पाये जाने पर उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायित्वाधीन होगा।

सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता–पिता का कर्तव्य–

- इस अधिनियम के प्रावधानों के अग्रसरण में सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जहाँ विद्यालय नहीं है, इस अधिनियम के प्रभावी होने के तीन वर्ष के भीतर अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में विद्यालय स्थापित करेंगे।
- केन्द्र सरकार–शैक्षिक प्राधिकारी की मदद से एक राष्ट्रीय ढाँचा विकसित करेगी, जो निम्नलिखित पर ध्यान देगी–

I. बच्चों का बहुमुखी विकास ।
II. संविधान में समाहित मूल्यों का विकास।
III. अधिकतम स्तर तक मानसिक व शारीरिक क्षमताओं का विकास।
IV. बालकों को बाल केन्द्रित व बालक मित्रवत् तरीके से गतिविधियों द्वारा सिखाना।
V. निर्देशो का माध्यम जहाँ तक हो सके बच्चों की मातृभाषा में होगा।
VI. बच्चों को भयमुक्त बनाना और अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने के योग्य बनाना।
VII. बच्चों की समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण और उसे उसकी सामर्थ्य पर लागू करना।
VIII. शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदण्ड विकसित कर लागू करना।
IX. राज्य सरकारों को भवनों की क्षमता के लिए तकनीकी व संसाधनो द्वारा सहयोग उपलब्ध करवाएगी।

राज्य सरकार –

a) प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी।
b) नजदीक में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
c) यह भी सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग का कोई बालक प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे।
d) ढाँचागत सुविधाएँ, जिनमें भवन, अध्यापक स्टाफ और सीखने के साधन शामिल है उपलब्ध करवाएगी।
e) प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति तथा प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति को सुनिश्चित करेगी।
f) गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चितता।
g) अध्यापको के लिए प्रशिक्षण सुविधा।

स्थानीय प्राधिकारी–

a) प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगें।

b) अपने क्षेत्राधिकार में 14 वर्ष तक के बच्चों के रिकार्ड रखेंगे।

c) नजदीकी विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

d) अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति व समाप्ति को सुनिश्चित करेगें।

e) शैक्षणिक कैलेण्डर निर्धारित करेंगे।

Ekkrk&firk ;k laj{kd dk nkf;Ro&

a) अपने बच्चे को नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

b) बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व स्कूल (Pre-School) पूर्व शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था सरकार करेगी।

fo|ky; o f”k{kdkas dk nkf;Ro&

➢ vf/kfu;e ds mn~ns”;ksa ds fy, fo|ky;&

- प्रवेश दिये सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देंगे।
- जिसमें 25 प्रतिशत कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे शामिल होगें।
- कोई भी विद्यालय या व्यक्ति बच्चों के प्रवेश के समय किसी प्रकार की कैपीटेशन फीस नहीं लेगा तथा बच्चे व उनके माता–पिता किसी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के विषय नहीं होंगे।

इसका उल्लंघन करने पर कैपीटेशन फीस के दस गुना तक अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। बच्चो की स्क्रीनिंग प्रक्रिया करने वाले को प्रथम उल्लंघन पर 25,000रू. का अर्थदण्ड तथा पश्चात्वर्ती प्रत्येक उल्लंघन पर 50,00 रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

- किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिए गए बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक दण्ड देकर परेशान नही किया जाएगा तथा जो कोई इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा उस पर उसके सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

विद्यालय की मान्यता के मानदण्ड

1. (अधिनियम के प्रभावी होने के बाद स्थापित विद्यालय पर)

	छात्रों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
(अ) कक्षा 1 से 5 तक	60 तक	2
	61 से 90 तक	3
	91 से 120 तक	4
	121 से 200 तक	5
	150 से अधिक होने पर	5 शिक्षक व 1 प्रधानाध्यापक
	200 से अधिक होने पर	छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक न हो।
(ब) कक्षा 6 से अधिक 8 तक		प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक जिसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक

	के लिए एक अध्यापक – (अ) गणित व विज्ञान (ब) सामाजिक अध्ययन (स) भाषाएँ
35 पर	1
जहाँ 100 से अधिक है	पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक निम्नलिखित हेतु एक अंशकालिक निर्देशक – (अ) कला शिक्षा (ब) स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा (स) कार्य शिक्षा के लिए

---

2. भवन –

(1) प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्ष।

(2) एक ऑफिस कक्ष और एक स्टोर कक्ष तथा एक प्रधानाध्यापक कक्ष।

(3) अवरोधमुक्त पहुँच हो।

(4) छात्रों व छात्राओं के लिए अलग–2 शौचालय।

(5) प्रत्येक छात्र के लिए साफ व स्वच्छ पानी।

(6) दोपहर का भोजन पकाने के लिए एक रसोई घर।

(7) खेल का मैदान।

(8) चाहरदीवारी।

3. न्यूनतम कार्यदिवस – एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस/घण्टे–

(अ) कक्षा 1 से 5 तक – 200 कार्य दिवस तथा 800 घण्टे।

(ब) कक्षा 6 से 8 तक – 220 कार्यदिवस तथा 1000 घण्टे।

(स) शिक्षक के लिए सप्ताह में कार्य घण्टे –तैयारी घण्टों सहित कुल 45 घण्टे।

4. पुस्तकालय – प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में पत्रिका, समाचार–पत्र, कहानी की पुस्तकों सहित सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हों।

5. खेल व एथलेटिक्स सामग्री – प्रत्येक कक्षा की आवश्यकतानुसार।

इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व स्थापित विद्यालयों के लिए मानदण्ड–

इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्ष के भीतर स्वयं के खर्चो पर उक्त मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय आवश्यक कदम उठायेगें अन्यथा उनकी मान्यता वापस कर ली जाएगी।

मान्यता वापस लिए जाने पर भी जो व्यक्ति विद्यालय की गतिविधियाँ जारी रखता है वह 1 लाख रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा तथा उल्लंघन जारी रहने की दशा में 10,000 रू. प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा।

6. शिक्षकों की योग्यता – केवल वे व्यक्ति शिक्षक होने के पात्र होगे, जो केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यता रखते है।

ऐसे शिक्षक –

- समयबद्ध नियमित रूप से विद्यालय आएगे।
- निश्चित समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करवाएगे।
- माता–पिता या अभिभावक के साथ नियमित रूप से बैठक करेगे।

उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे शिक्षक पर लागू होने वाले रेखा नियमों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

- किसी भी शिक्षक को जनसंख्या गणना, आपदा सहायता या चुनाव सम्बन्धी कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।
- कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन में संलग्न नही होगा।

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन –

पाठ्यक्रम बच्चे के बहुमुखी विकास उसके ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा के उन्नयन, पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान देने के साथ–साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का काम करेगा। बुनियादी शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बोर्ड की कोई परीक्षा नही देनी होगी।

अन्ततः हम कह सकते है कि शिक्षा का अधिकार कानून पर अमल के अब तक के नतीजे खासे उत्साहवर्द्धक रहे है लेकिन कुछ ऐसी कमियाँ है जिसके कारण यह अधिनियम पूर्णतया सफल अभी तक नही हो पाया है।

सर्वाधिक चिंता का विषय यह है कि भारत मे अनेक विषयो से सम्बन्धित उचित एवं श्रेष्ठ अधिनियम बनाये जाते है, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नही हो पाता। इस अधिनियम का क्रियान्वयन किस स्तर तक हो पाता है यह कहना कठिन है। आवश्यकता है अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समुचित समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर लागू करने की, जिससे इस अधिनियम का सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र आ सके।

निष्कर्ष –

यह अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र मे उठाया गया सराहनीय कदम है, शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करना सभी लोकतन्त्रीय सरकारो का दायित्व है, इसे पूरा करने में यह एक कदम है। अधिनियम के अधीन बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य कमीशन को भी विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए है। बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी किसी भी शिकायत के लिए अधिकारितायुक्त स्थानीय प्राधिकरण की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश में बच्चों की इतनी संख्या को प्रभावित करने वाला यह एकमात्र अधिनियम है, निश्चित रूप से यह विधि का सार्थक साधन सिद्ध होगा। देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग प्राप्त करने के कारण यह अधिनियम अपने अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में अवश्य सफल होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, जे0सी0 (1991) स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली।
2. पाण्डेय, रामशकल एवं करूणा शंकर मिश्र (2010), भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, चतुर्थ संस्करण।
3. पाठक, पी0डी0 (2004), भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्यायें, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

4. लाल, रमन बिहारी एवं कृष्णकान्त शर्मा (2012) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर0लाल बुक डिपो, मेरठ।
5. देवी मंजू (2013) शिक्षा का अधिकार अधिनिम–2009 के क्रियान्यवन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका प्राथमिक शिक्षक वर्ष–37, अंक–3, जुलाई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
6. सिंह, कुसुमलता (2010), शिक्षा ने बदली ग्रामीणों की सोच, कुरूक्षेत्र, वर्ष–56 जनवरी, पृष्ठ 14–17
7. शिक्षा की प्रगति (2012–13) उ0प्र0 शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
8. en.wikipedia.org/wiki/sarva_shiksha-abhiyan
9. unesdoc.unesco.org/image
10. www.tin.gov.in/schooldeducation/contacts.htm